

to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Repayments of loans from General Revenues and interest thereon-Development Fund'."

Demand No. 18—Appropriation to Development Fund

"That a sum not exceeding Rs. 1,91,51,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Appropriation to Development Fund'."

Demand No. 20—Payments towards Amortisation of Overcapitalisation

"That a sum not exceeding Rs. 28,26,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Payments towards Amortisation of Overcapitalisation'."

— — —
**APPROPRIATIONS (RAILWAYS)
BILL,* 1969**

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1969-70 for the purposes of Railways.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1969-70 for the purposes of Railways."

The motion was adopted

DR. RAM SUBHAG SINGH : I introduce† the Bill.

I beg to move† that the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1969-70 for the purposes of Railways, be taken into consideration.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1969-70 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

श्री मधु लिमये (मुंजर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने लिख कर दिया है, मुझे बोलना है। जो सदस्य लिख कर देता है, नियम के अनुसार काम करता है उस के ऊपर यह धन्याय कर रहे हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER : The hon. Member should bear with me. I have gone through the points he has raised. I have followed the debate as far as possible carefully. I was in the Chair most of the time. I know certain points raised were not covered.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल मयी बात कह रहा हूँ जिस को किसी ने भी नहीं उठाया। आप सुन लीजिये। मैं साधारण दुर्घटनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ठोस बात आप के सामने रखना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल उठा रहा हूँ इनसानियत का और मानव के प्राणों की प्रतिष्ठा का। आप जरा सोचिये... (ब्यवधान)... आप लोग तो कभी मेहनत नहीं करिये और दूसरा करेगा तो लांछन लगायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लखीसराय में 23 अक्टूबर, 1966 को एक भयंकर दुर्घटना हुई जिस में 32 लोग कट गये, मर गये और कई घायल हो गये। उस के बारे में... (ब्यवधान)...। आप सनिये मैं नई बात कह रहा

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 18.3.69.

†Introduced/Moved with the recommendation of the President.

[श्री मधु लिमये]

है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों में धीरज क्यों नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उस के बारे में रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने जांच की लेकिन जनवरी, 1969 तक रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट प्रकाशित की गई और न सदन के सामने आयी।

इस रिपोर्ट में चार सिफारिशों की गई थीं...

एक माननीय सदस्य : सत्याग्रह भी था।

श्री मधु लिमये : मुझे सत्याग्रह करना पड़ा, शर्म की बात है। आप कुछ काम नहीं करते हैं इसलिए मुझे जेल जाना पड़ता है।

यह रेलवे सेफ्टी कमिश्नर कानून के अंदर नियुक्त किया गया अधिकारी है। उस ने चार सिफारिशों की थीं।

"Recommendations :—(i) Arrangements may be made at Luckeesaral station so that the passengers may be apprised of the trains that are going to Gaya Branch or to the Main Line, through a suitable microphone announcement.

(ii) In stations, provided with foot-over-bridge, where there is incidence of passengers crossing the railway line a suitable type of fencing barrier may be provided between the line lines to prevent such unauthorised action.

(iii) Improvement of electric headlights of all train engines is needed by checking the power and focussing of all locomotives in use.

(iv) The powers under Section 84 of the Indian Railways Act 1890 (IX 1890) to make 'Rules regarding Notices of and Inquiries into accidents' should be vested in the Ministry of Transport and Aviation (now Ministry of Tourism and Civil Aviation); under which the Commission of Railway Safety functions".

इस रिपोर्ट पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं ने यह मवान यहां पर उठाया था, प्रश्न पछे थे। कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

फिर इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं 14 फरवरी, 1968 को। आधा घंटे की बहस बहस मैं ने यहां पर उठाई। उस के बाद भी मेरे सभाकों पर कार्यवाही नहीं की गई। अन्त में मुझे सत्याग्रह करना पड़ा तब इन सभाकों पर अमल हुआ।

अब मेरा सब से पहला यह सवाल है कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट को आप लोगों ने क्यों दवाया? 14 फरवरी को जो दूसरी दुर्घटना हुई उस में जो 18 लोग मर गये उन के प्राण क्या डा० राम मुभग सिंह वापिस ला सकते हैं? प्राण लेना आसान है, कत्ल करवाना आसान है, लेकिन आसान के प्राण को वापिस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए, डा० साहब, आप भले आदमी हैं लेकिन जब से रेलवे बोर्ड ने इस तरह की लापरवाही बनी है इसलिए उस रेलवे बोर्ड को आप जब बर्खास्त करेंगे तभी उन 18 लोगों की आत्मा शान्त होगी। 18 लोगों को मरवाना कोई मामूली बात नहीं है। यह मेरा पहला मुद्दा था।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि कलोल बीजापुर लाइन पर 21 जनवरी को वहां जो सत्याग्रह चल रहा था तो सत्याग्रहियों को जानबूझ कर कटवाने का काम जो सज़ून में ऐरिया आफिसर भागव बंटे थें उन्होंने करवाया है। श्री राम मुभग सिंह को मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि वह भले आदमी हैं तो क्या उस ऐरिया आफिसर को तत्काल सस्पेंड करवाने का काम बंद करेंगे? उन के ऊपर आरोप क्या है? ऐरिया आफिसर के ऊपर 114 के तहत abetment of an offence 304 के तहत Culpable homicide not amounting to murder 307 के तहत attempt to murder और 333 के तहत causing grievous hurt endangerous life or personal safety का चार्ज लगाया गया, लेकिन ऐसे आफिसर को जब तक मंत्री महोदय के द्वारा सस्पेंड नहीं किया जाता है तब तक मेरी राय में कोई ठीक तरीके से न्याय नहीं होगा।

कलोल बीजापुर लाइन के इलाके के जो

देहाती लोग हैं उन के ऊपर बड़ा धन्याय हुआ है। लोगों को कटवाया गया है। मेहरबानी करके भागंव साहब को सस्पेंड करके पूरी जांच करवाइये।

तीसरी और अपनी अंतिम बात में एक वाक्य में कह देना चाहता हूँ कि रेलवेज ने रिटायरिंग रूम्स का इंतजाम करके यात्रियों की सुविधा के लिये अच्छा काम किया है। लेकिन मेरा अफसर यह अनुभव रहता है, और शायद सभी माननीय सदस्यों का होगा, कि रेलवे अफसर हमेशा रिटायरिंग रूम्स पर कब्जा किये रहते हैं। जो अफसर छुट्टी पर होते हैं वह तो साधारण यात्री माने जा सकते हैं लेकिन जो लोग ड्यूटी पर होते हैं क्या उन के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय, एक हुक्म जारी करेंगे कि उन को रिटायरिंग रूम्स में बिल्कुल नहीं रहना चाहिये और जो मुसाफिर लोग हैं जन्हीं की सुविधा के लिये रिटायरिंग रूम होने चाहिये, जिन में कि छुट्टी पर रहने वाले अफसर भी शामिल हैं ? अगर यह काम मन्त्री महोदय कर देंगे तो सभी मुसाफिर उन को बर्बाद देंगे और मैं ने भी जन्हीं की बातों को यहाँ पर रक्खा है।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur) : Sir, I want to raise a point of order. So far as the points raised by Shri Madhu Limaye are concerned, I want to seek some light from you : whether at such a stage, when the Appropriation Bill has been moved,—if we give notice or even without notice—we can go on talking about things, if we say that these are new matters: If we can speak on them, then I have also a right to speak and continue the debate for another 15 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has written to me under the rules, raising certain points. I have got his note with me. He has a right, though his last point, about Lakheesara, was not covered fully. I gave him permission to speak. Now, please reply. Mr. Ram Subhag Singh.

डा० राम सुभग सिंह : श्री मधु लिमये ने

बतलाया कि रिटायरिंग रूम्स का वाजिब रीति से प्रयोग नहीं किया जाता और जो रेल कर्मचारी छुट्टी पर नहीं होते वे भी उन का इस्तेमाल करते हैं, जिन की हैसियत यात्रियों की नहीं रहती। इस सम्बन्ध में मैं अभी एक आदेश जारी करूंगा कि किसी भी रिटायरिंग रूम का गलत प्रयोग न हो।

SHRI S. KUNDU (Balasore) : There are separate rooms such as "Officers' Retiring Rooms." (Interruption)

डा० राम सुभग सिंह : वही मैं कह रहा हूँ कि रिटायरिंग रूम्स का प्रयोग केवल रेल पर सफर करने वाले लोग ही करें। अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिये रिजर्व रहते हैं जिन की गणना यात्रियों में नहीं हो सकती, तो प्राज से रूम के लिये वे रिजर्व नहीं रहेंगे।

कलोल के ऐक्सिडेंट के बारे में जो श्री मधु लिमये ने बतलाया, यह बड़े दुःख की बात है। श्री मनुभाई ने और दूसरे लोगी ने भी इस और ध्यान आकषित किया है। भागंव को हटाने की जो श्री मधु लिमये ने मांग की है, उस के बारे में मैं कोई बात अभी कहना नहीं चाहता लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया है उस पर हम विचार करेंगे।

माननीय सदस्य ने लक्खी सराय ऐक्सिडेंट के सम्बन्ध में सेप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के बारे में भी कहा, लेकिन सेप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे मन्त्रालय की रिपोर्ट नहीं है। फिर भी हम लोगों का विचार है कि जितने भी आवश्यक और उचित सुझाव दिये जाते हैं हम उन को कार्यान्वित करें। सेप्टी कमिश्नर द्वारा मिनिस्ट्री और सिविल ऐडिशन विभाग के नीचे काम करते हैं।

श्री मधु लिमये : सिफारिश तो प्राप के लिये है, प्राप ने अमल नहीं किया।

डा० राम सुभग सिंह : जो सिफारिशें हम वाजिब समझेंगे उन को जरूर कार्यान्वित करेंगे क्योंकि यात्रियों का भला करना हमारा उद्देश्य है।

श्री मधु लिमये : ऐसा नहीं किया, इसी लिये तो हम को सत्याग्रह करना पड़ा।

डा० राम सुभग सिंह : भ्रमर भ्राप ने सोचा कि भ्राप के लिये सत्याग्रह कस्ता उचित है तो ठीक है। मगर मैं समझता हूँ...

श्री मधु लिमये : हम क्या करें. भ्राप लोग सिफारिशों पर भ्रमल नहीं करते हैं। इस लिये सत्याग्रह करना पड़ता है, मुझे जेल में रहना अच्छा थोड़े ही लगता है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं कहने के लिये तैयार हूँ कि हम लोगों के किसी कार्य से हमारे किसी साथी को सत्याग्रह करने के लिये बाध्य न होना पड़े, ऐसा वातावरण बनाने की हम कोशिश करेंगे।

श्री मधु लिमये : रेलवे यात्रियों की रक्षा कीजिये, और कोई चीज नहीं है। इतने लोग नाहक मर गये।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated

Fund of India for the service of the financial year 1969-70 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is :

That clause 2, clause 3 and the Scheduled stand part of the Bill"

The motion was adopted

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were then added to the Bill

DR RAM SUBHAG SINGH : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted

19.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 19, 1969 (Phulguna 28, 1890 (Saka)).